FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0068 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/05/2024 16:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 10:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/05/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/05/2024 16:54:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BLOCK CHIEF MEDICAL AND HEALTH, OFFICER GADASANA DISTRICT, ANUPGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KIRANDEEP KAUR

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** SANDEEP SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 67, अनूपगढ़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 67, अनूपगढ़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9982813045

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJAY KUMAR		पिता:JAGDISH RAY	1. WARD 14,RAWALA MANDHI, अनूपगढ़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि दस हजार रूपये	10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय। विषय- बीपीएमओ ब्लॉक घड़साना अजय कुमार सोनी पर रिश्वत मांगने के कारण कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै किरणदीप कौर पत्नी संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 67 जीबी अनूपगढ की रहने वाली हॅू तथा संविदाकर्मी पर 07.10.23 से 31.03.24 तक डयूटी एएनएम(यूटीबी) पद पर लगी थी, मेरी पोस्टींग 2 आरकेएम ब्लॉक घड़साना में है। मेरा अनुबंध 31.03.24 को समाप्त हो गया था, उसके बाद 3.4.2024 को 2 आरकेएम से मेरे पास फोन अया कि आप S/C पर नही हो तो मैने 31.03.24 को अनुबंध समाप्त होने का करण बताया, जिसके बाद में शिकायत 181 पर अशोक जी ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ब्लॉक से मेरे पति को बीपीएमओ साहब का फोन आया और बोला की आप मेरे को प्रार्थना पत्र लिखवाकर दो, जिसमें आप अपना अनुबंध 31.03.24 को समाप्त होना बता कर भेजो, उसमें लिखो की अनुबंध दुबारा होने पर डयूटी पर अपनी सेवाये दूंगी, मैने प्रार्थना पत्र लिखाकर बीपीएमओ साहब को मेरे पति से भिजवाया, अब अनुबंध दुबारा आने पर आज दिनांक 25.04.24 को मेरे पति श्री संदीप सिंह बीपीएमओ जी अजय कुमार सोनी जी मिले तो उन्होने डयूटी जोईन करवाने से मना कर दिया और बोला की अगर डयूटी जोन करनी है तो 18000 रिश्वत के लगेगे, यह बोल कर डयूटी जोन नही करवाई और हर महिने 10,000 रूपये की मांग की। बीपीएमओ साहब अजय कुमार मेरे कोई बात नही कर मेरे पति से रिश्वत की मांग करते है। हमारी उनसे कोई रंजिश या कोई उधारी नही है। उचित कार्यवाही की मांग करती हॅू। डेट 25.04.2024 एसडी किरणदीप कौर प्रार्थिया किरणदीप कौर 99828-13045, 88750-88132 कार्रवाई पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25.04.2024 वक्त 1.15 पीएम पर परिवादिया श्रीमती किरणदीप कौर पत्नी संदीप सिंह व श्री संदीप सिंह उपस्थित आये तथा श्रीमती किरणदीप कौर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पूछने पर किरणदीप कौर ने बताया कि मैं माह अक्टूबर 2023 से एएनएम के पद पर संविदा पर लगी थी। मेरा अनुबंध माह मार्च 2024 में समाप्त हो गया था मेरी पोस्टिंग 2 आर.के.एम. ब्लॉक घडसाना में थी। दिनांक 03.04.2024 को अशोक नाम के व्यक्ति का मेरे पास फोन आया तो मैने मेरी सेवा समाप्त होना बताया तथा जब तक विभाग पुनः सेवा बहाली नही करते मैं सेवा नही दे सकती। राज्य सरकार द्वारा अनुबंध जारी रखने के दिनांक 24.04.2024 को आदेश किये है। आज दिनांक 25.04.2024 को मैं व मेरे पति संदीप सिंह बीपीएमओ ब्लॉक घडसाना श्री अजय कुमार सोनी से मिले तो श्री सोनी ने मुझे डयूटी ज्वाईन नही करवाई तथा डयूटी ज्वाईन कराने के मेरे पति से 18,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा प्रति महीने 10,000/रूपये मांगे। मेरे पति से ही अजय कुमार सोनी बात करता है। मेरे से नही करता है। प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं हस्तलेख में है। मेरे अनुबंध सम्बन्धित कागजात कुल 05 आपको पेश कर रही हॅू। हमारी बीपीएमओ ब्लॉक घडसाना श्री अजय कुमार सोनी से कोई रंजिश नही है ना ही हमारा कोई उधारी का उनसे लेनदेन है। श्री संदीप सिंह ने पूछने पर किरणदीप कौर के बतायी गयी बात की ताईद की तथा बताया कि बीपीएमओ ब्लॉक घडसाना श्री अजय कुमार सोनी मेरे से ही बातचीत करता है तथा मेरे से ही मेरी पत्नी के काम के बदले रिश्वत मांगी है । प्रार्थना पत्र के अवलोकन व दरियाफ्त पर मामला पीसीएक्ट की परिधि में आना पाये जाने पर किरणदीप कौर व श्री संदीप सिंह को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की विधि बतायी तो किरणदीप कौर ने बताया कि बीपीएमओ ब्लॉक घडसाना श्री अजय कुमार सोनी मेरे पति संदीप सिंह से ही वार्ता करते है तथा आगे की कार्यवाही यही करवायेगे। श्री संदीप सिंह ने बताया कि मैं श्री अजय कुमार सोनी से बात कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा तथा आगे की कार्यवाही भी मैं ही करवाउंगा। फिर श्री पंकज शर्मा कानि चालक 619 को अपने कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादियां द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्य बताये। पकंज शर्मा का किरणदीप कौर व संदीपसिंह से आपसी परिचय करवाया गया । कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि श्री संदीप सिंह व पंकज शर्मा को समझायी गयी तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर श्री पंकज शर्मा कानि.चालक को जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकॉर्डर रूबरू गवाहान तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 03.10 पीएम पर श्री पंकज शर्मा कानि चालक 619 मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के सहपरिवादी श्री संदीपसिंह के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु घड़साना के लिए हिदायत कर रवाना किया गया तथा परिवादिया किरणदीप कौर को हिदायत मुनासिब कर फारिग किया गया। वक्त 09.30 पीएम श्री पंकज शर्मा कानि चालक 619 कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डिजीटल वॉइस

रिकॉर्डर मेरे को पेश कर बताया कि मैं व संदीपसिंह कार्यालय हाजा से रवाना होकर घड़साना में आरोपी के कार्यालय के पास पहुंचे। मैंने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके सहपरिवादी संदीपसिंह को देकर आरोपी से सम्पर्क कर वार्ता करने की हिदायत की तथा मैं वहीं आस पास गोपनीय स्थान पर मुकीम हो गया। सहपरिवादी करीब आधा घन्टा बाद मेरे पास आया जिस पर मैंने सहपरिवादी से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर लिया। सहपरिवादी ने मेरे को बताया कि अजय कुमार बीपीएमओ ने मेरे से मेरी पत्नी किरणदीप कौर को वापस डयूटी ज्वाईन करवाने के लिये उच्चाधिकारियों के नाम पर 18,000/रूपये रिश्वत का लेना तय किये, उस समय मेरे पास 5000/रूपये ही थे, जिस पर मेरे द्वारा घड़साना गुरूद्वारा के बाहर स्थित एसबीआई बैक के एटीएम मशीन से मेरे ए0यू0 बैंक के खाते से 3000/रूपये निकलवाकर कुल 8,000/रूपये अजय कुमार ने उसी रोज मेरे से प्राप्त कर लिये तथा शेष 10,000/रूपये बाद में देना तय हुआ है। परिवादी ने बताया कि उसकी बच्ची बीमार है इसलिए वो वही रूक गया तथा मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी के कथन की ताईद हुइ। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 28.04.2024 को वक्त 0415 पीएम पर सहपारिवादी संदीपसिंह उपस्थित आया व बताया कि दिनांक 25.04.2024 को मैं व ब्यूरो के श्री पंकज शर्मा आपके कार्यालय से रवाना होकर घड़साना में आरोपी के कार्यालय के पास पहुंचे। श्री पंकज शर्मा ने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करके मेरे को दिया तथा पंकज वहीं आस पास उपस्थिति छिपाते खडा हो गया। मैंने मेरे मोबाईल नम्बर 99828-13045 से आरोपी अजय कुमार सोनी के मोबाईल नम्बर 96670-75751 पर व्हाटसप कॉल कर वार्ता की तो वह मुझे अपने कार्यालय के बाहर मिले, मैंने उनसे मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तथा वार्ता के दौरान उपस्थिति प्रमाण पत्र के लिए मैंने 2 आरकेएम सरपंच से भी जरिये मोबाईल बातचीत की थी तथा अजय कुमार बीपीएमओ ने मेरे से मेरी पत्नी किरणदीप कौर को वापस डयूटी ज्वाईन करवाने के लिये उच्चाधिकारियों के नाम पर 18,000/रूपये रिश्वत का लेना तय किये, उस समय मेरे पास 5000/रूपये ही थे, जिस पर मेरे द्वारा घड़साना गुरूद्वारा के बाहर स्थित एसबीआई बैक के एटीएम मशीन से मेरे ए0यू0 बैंक के खाते से 3000/रूपये निकलवाकर कुल 8,000/रूपये अजय कुमार ने उसी रोज मेरे से प्राप्त कर लिये तथा शेष 10,000/रूपये बाद में देना तय हुआ है। कल आरोपी जयपुर जाने की कह रहा था, इसलिए मैं सोमवार को उसके कार्यालय में जाकर रिश्वती राशि दूंगा। उसके बाद मैंने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर श्री पंकज शर्मा को दे दिया था तथा मैंने पंकज को बताया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है इसलिए मैं आपके साथ श्रीगंगानगर नहीं चल सकता। जिस पर मैं वही रूक गया तथा श्री पंकज शर्मा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेकर वहां से रवाना हो गया था। वक्त 5.00 पीएम पर तलबिदा श्री सुमित रावल राज्य कर अधिकारी, वाणिज्यक कर विभाग, वृत अ श्रीगंगानगर व श्री सतीश कुमार राज्य कर अधिकारी, वाणिज्यक कर विभाग, वृत स श्रीगंगानगर उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। फिर परिवादी श्री संदीपसिंह का स्वतन्त्र गवाहान श्री सुमित रावल व श्री सतीश कुमार का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व सहपरिवादी श्री संदीपसिंह की मौजूदगी में दिनांक 25.04.2024 को सहपरिवादी श्री संदीप सिंह ने आरोपी श्री अजय कुमार सोनी बीपीएमओ ब्लॉक घडसाना से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग का सत्यापन के समय वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया था जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है को रूबरू गवाहान व सहपरिवादी संदीपसिंह के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द मे अंकित किया गया। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में सहपरिवादी संदीपसिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी अजय कुमार सोनी बीपीएमओ ब्लॉक घड़साना की होना बताया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री जगदीशराय हैड कानि 13 से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकार्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 9.20 पीएम पर उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल व श्री सतीश कुमार को आवश्यक हिदायत व सहपरिवादी संदीप सिंह को रिश्वती राशि सहित कल दिनांक 29.04.24 को वक्त 07.00 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 29.04.2024 को वक्त 7.00 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल व श्री सतीश कुमार तथा सहपरिवादी संदीप सिंह रिश्वती राशि 10,000/रूपये सहित ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। सहपरिवादी श्री संदीप सिंह ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 /-रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.2AN 006315 2.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5TU 616506 3.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SF 789852 4.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5TU 616508 5.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4KU 674234 6.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4DT 626338 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.6HP 759778 8.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय

मुद्रा न.7VA 006104 9.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.8PE 344755 10.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0DK 804666 11.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4CG 647913 12.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5HD 599374 13.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.8FH 926896 14. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7TU 174883 15.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4SK 100556 16. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8MD 373156 17.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7BK 507106 18.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1UC 673221 19. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.3QM 053851 20.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1MM 575997 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने सहपरिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्रीमती वीरपाल कौर महिला कानि 590 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह सुमित रावल से सहपरिवादी श्री संदीपसिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000/- रूपये के नोटो को श्रीमती वीरपाल कौर म.का. के जरिये सहपरिवादी के पहने बुशर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। सहपरिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्रीमती वीरपाल कौर म.का. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्रीमती वीरपाल कौर म.का. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सहपरिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चैकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सहपरिवादी श्री संदीपसिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 8.15 एएम पर परिवादी श्री संदीप सिंह के साथ श्री बजरंगलाल कानि0 व श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 को परिवादी की निजी कार से रवाना करते हुये पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल, श्री सतीश कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम एएसआई, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भंवर राम कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0डा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर कार्यालय बीसीएमओ घड़साना के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर सहपरिवादी संदीप सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने उसकी निजी कार से कार्यालय बीसीएमओ घड़साना की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 11.15 एएम पर सहपरिवादी संदीप सिंह बिना ट्रेप का ईशारा किये हुये वापिस आया एवं अपनी कार में बैठकर गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां उसके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पहूंचा तो परिवादी ने बताया उनके बीसीएमओ कार्यालय कर्मी ने बताया कि श्री अजय कुमार बीपीएमओ आज रावला मिटींग में गये है, जिनके आने का कोई अता-पता नही है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी को साथ लेकर घड़साना-रामसिंहपुर स्थित गोपनीय स्थान पर पहूंच मुकिम हुआ। वक्त 03.15 पीएम पर सहपरिवादी संदीप सिंह ने आरोपी अजय कुमार का अपने गोपनीय सूत्रो से मालूमात कर बताया कि अब तक आरोपी वापस अपने कार्यालय में उपस्थित नही आया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर ही मुकिम रहा। वक्त 05.15 पीएम पर सहपरिवादी संदीप सिंह ने आरोपी अजय कुमार का अपने गोपनीय सूत्रो से मालूमात कर बताया कि अब तक आरोपी वापस अपने कार्यालय में उपस्थित नही आया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी गोपनीय सूत्रो से आरोपी की उपस्थित बाबत मालूमात किया तो आरोपी के कार्यालय में नही होकर फील्ड में होना पता चला, जिसके आने का कोई समय सुनिश्चित नही है। ऐसी स्थिति में गोपनीयता की दृष्टि से यहां और अधिक रूकना उचित प्रतीत नही होता, जिस पर हालात उच्चाधिकारियों को अवगत करवाये गये। आज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने से सहपरिवादी को सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया एवं सुपुर्द शुदा रिश्वत राशि को गवाह श्री सतीश कुमार से सहपरिवादी के बुशर्ट की जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में रखवाई जाकर परिवादी को मौका से हिदायत कर फारिग किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर वक्त 09.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा, जहां रिश्वत राशि एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 30.04.2024 को वक्त 7.15 एएम पर स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल एवं श्री सतीश कुमार के ब्यूरो

कार्यालय में उपस्थित आने पर रिश्वत में प्रयुक्त राशि को कार्यालय के मालखाना से निकलवाकर सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में रखवायी गई एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को साथ लिया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल, श्री सतीश कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम एएसआई, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भंवर राम कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0डा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब रवाना होकर वक्त 9.05 एएम पर रामसिंहपुर से आगे चक 67 जीबी के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचे, जहां सहपरिवादी अपनी कार सहित उपस्थित मिला, जिसकी गवाह श्री सतीश कुमार से तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने कपड़ो एवं मोबाईल के अलावा कुछ भी नही रहने दिया जाकर गवाह श्री सुमित रावल से सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में रखी रिश्वत राशि 10,000/रूपये सहपरिवादी के पहने बुशर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवायी जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। दोनो गवाहान, सहपरिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। वक्त 09.35 एएम पर परिवादी श्री संदीप सिंह के साथ श्री बजरंगलाल कानि0 व श्री संजीव कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0 को परिवादी की निजी कार से रवाना करते हुये पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री सुमित रावल, श्री सतीश कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री मंगतुराम एएसआई, श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0, श्री भंवर राम कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0डा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय बीसीएमओ के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर सहपरिवादी संदीप सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने उसकी निजी कार से कार्यालय बीसीएमओ घड़साना की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 10.50 एएम पर सहपरिवादी संदीप सिंह ने कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना के गेट के पास सड़क आम पर खड़ी अपनी होंडा एमेंज कार नम्बर आरजे-13-सीई-6797 में से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब परिवादी के पास पहूंचा तो सहपरिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर एक जिन्स पेंट पहने लम्बे कद के चश्मा लगे जा रहे युवक की ओर ईशारा कर बताया कि यही अजय कुमार है, जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि के 10,000 /रूपये ले लिये, जिस पर तुरन्त ब्यूरो स्टाफ से उस युवक को काबु किया गया तो वह घबरा गया, जिसे तसली दी जाकर आरोपी को साथ लेकर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना में प्रवेश होकर कार्यालय में बांयी ओर बने आरोपी के कार्यालय कक्ष में पहूंचा। जहां पर पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राय जाति सोनी निवासी वार्ड न. 14 रावला मण्डी हाल निवास किराये का मकान महताब कॉलोनी, घड़साना जिला अनूपगढ हाल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ होना बताया। फिर आरोपी से सहपरिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब इस संदीप सिंह की पत्नी किरणदीप कौर उप स्वास्थ्य केन्द्र 2 आर0के0एम0 घड़साना में एएनएम (यू0टी0बी) के पद पर पदस्थापित रही है, जिसके कारण यह अपनी पत्नी के साथ हमारे ऑफिस में आता जाता है, इसलिये मै इसे जानता हॅू, मेरे पास संदीप सिंह या उसकी पत्नी किरणदीप कौर का कोई काम पेण्डिग नही था, यह थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था, तथा इसने मुझे बात करने का कहकर अपनी कार में ले गया तथा कुछ दूर ले जाकर मुझे 10,000/रूपये बीसीएमओ ऑफिस में किसी व्यक्ति को देने के लिये दिये थे, जो मेरी जिन्स की पहनी पेंट की आगे की दाहिनी साईड की जेब में रखे है। तब आरोपी से पूछा गया कि सहपरिवादी संदीप सिंह ने किस व्यक्ति को देने के लिये यह 10,000/रूपये आपको दिये थे, तब आरोपी अजय कुमार ने बताया कि इसने मुझे नाम नही बताया, जिस पर पुनः सहपरिवादी संदीप सिंह से राशि लेने का कारण पूछा तो भी कोई संतोषजनक जबाव नही दिया। फिर मौका पर सहपरिवादी संदीप सिंह ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि साहब मेरी पत्नी किरणदीप कौर जो 2 आर0के0एम0 घड़साना ब्लॉक में अनुबंध के आधार पर एएनएम (यूटीबी) लगी थी, जिसका माह मार्च 2024 को अनुबंध समाप्त हो गया था, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.04.24 को अनुबंध जारी रखने के आदेश जारी किये थे। जिसके क्रम में मै व मेरी पत्नी किरणदीप कौर दिनांक 25.04.24 को अजय कुमार सोनी बीपीएमओ घड़साना से मिले तो इन्होने मेरी पत्नी को डयूटी ज्वाईन नही करवायी तथा डयूटी ज्वाईन करवाने के बदले 18,000/रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरी पत्नी व मैने इनके खिलाफ कार्यवाही हेतु उसी दिन आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर उसी दिन मैने अजय कुमार से वार्ता कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के दौरान अजय कुमार बीपीएमओ ने मेरे से मेरी पत्नी किरणदीप कौर को वापस डयूटी ज्वाईन करवाने के लिये उच्चाधिकारियों के नाम पर 18,000/रूपये रिश्वत का लेना तय किये, उस समय मेरे पास 5000/रूपये ही थे, जिस पर मेरे द्वारा घड़साना गुरूद्वारा के बाहर स्थित एसबीआई बैक के एटीएम मशीन से मेरे ए0यू0 बैंक के खाते से 3000/रूपये निकलवाकर कुल 8,000/रूपये अजय कुमार ने उसी रोज मेरे से प्राप्त कर लिये तथा शेष 10,000/रूपये बाद में देना तय हुआ था। रिश्वत मांग के क्रम में कल दिनांक 29.04.24 को ट्रेप का आयोजन कर अजय कुमार के ब्लॉक ऑफिस घड़साना में आये थे, परन्तु अजय कुमार कल पुरे दिन घड़साना से बाहर फील्ड में होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही हुई। जिस पर आज अजय कुमार बीपीओ से उनके ब्लॉक ऑफिस घड़साना में कार्यालय के बाहर चाय-ज्यूस की टपरी पर बैठे मिले, जिन्होने मेरे से बातचीत करते हुये मेरी कार में

बैठने के लिये कहा तो उन्होने मेरे से कार कुछ आगे लेने को कहा तो मैने कार स्टार्ट कर कुछ दूर आगे ले गया, जिस पर आरोपी अजय कुमार ने पूर्व से तय राशि 18,000/रूपये में से शेष 10,000/रूपये मुझसे मांगकर प्राप्त कर लिये तथा आगे से मंथली के तौर पर 9,000/रूपये महिने के लेना तय किया और उसके कहे अनुसार कार को मै वापस बीसीएमओ कार्यालय के पास ले आया, तब आरोपी अजय कुमार कार से उतरने लगा तो मैने आपको ट्रेप का निर्धारित ईशारा कर दिया। उक्त घटनाक्रम से सहपरिवादी व आरोपी अजय कुमार के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी अजय कुमार के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी अजय कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी अजय कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी अजय कुमार से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी जिन्स पेंट के आगे की दाहिनी साईड की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री सतीश कुमार से आरोपी के पहनी पेंट के आगे की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500-500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500-500/रू के 20 नोट कुल 10,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामदशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनी बरंग नेवी ब्लयू जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब धुलवाने के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी अजय कुमार के पहनी जिन्स पेन्ट को दूसरा लॉअर पहनने के लिये दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के आगे की दाहिनी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी अजय कुमार से सहपरिवादी संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती किरणदीप कौर के एएनएम (यूटीबी) अनुबंध से सम्बधिंत दस्तावेज चाहे जाने पर आरोपी अजय कुमार ने बताया कि मेरे पास इनसे सम्बधिंत कोई कागजात नही रहते, इनसे सम्बधिंत दस्तावेज ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में है। जिस पर मौके पर तलविदा डॉ भागीरथ बाजिया बीसीएमओ द्वारा श्रीमती किरणदीप कौर एएनएम एवं आरोपी अजय कुमार के नियुक्ति सम्बधी दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रति कुल पृष्ठ 09 प्रस्तुत की, जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात आरोपी अजय कुमार ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। ट्रेप कार्रवाई घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कसीद किया गया। सहपरिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, सहपरिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित किया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री जगदीश राय मुआ से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 12 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। आरोपी अजय कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वक्त 6.00 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर सहपरिवादी संदीप सिंह को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा आरोपी अजय कुमार के हमराहीयान के जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के निजी कार एवं सरकारी बोलेरो गाड़ी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 10,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा पेन्ट, दो शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो

गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी अजय कुमार को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की हवालात में जमा करवाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती किरणदीप कौर पत्नी श्री संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 67 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ अनुबंध पर माह अक्टूबर 2023 से एएनएम (यू0टी0बी0) के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 2 आर0के0एम0 ब्लॉक घडसाना में लगी थी। जिसका अनुबंध 31 मार्च 2024 में समाप्त हो गया था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.04.24 को राज्य के सभी एएनएम की सेवाओं में अभिवृद्धि के आदेश जारी किये थे। जिस पर दिनांक 25.04.2024 को परिवादिया व उसका पति संदीप सिंह ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर ब्लॉक घडसाना श्री अजय कुमार से मिले तो उसने डयूटी ज्वाईन नही करवाई तथा डयूटी ज्वाईन कराने के लिये परिवादिया के पति संदीप सिंह से 18,000/- रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर ब्यूरो कार्यालय पर कार्यवाही हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर उसी रोज परिवादिया के पति सहपरिवादी संदीप सिंह को आरोपी अजय कुमार के पास भिजवाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी अजय कुमार ने 18,000/रूपये रिश्वत लेना तय कर सहपरिवादी संदीप सिंह से 8,000/रूपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये तथा शेष 10,000/रूपये बाद में लेना तय किया। उक्त रिश्वत मांग के क्रम में दिनांक 29.04.24 को ट्रेप का आयोजन किया गया परन्तु उस दिन आरोपी फील्ड में जाने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। फिर दिनांक 30.04.24 को सहपरिवादी संदीप सिंह से आरोपी अजय कुमार द्वारा कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, घड़साना के बाहर सहपरिवादी की कार में बैठकर सहपरिवादी संदीप सिंह से 10,000 /रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी अजय कुमार के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिष्वत की मांग व रिष्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी अजय कुमार ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर सहपरिवादी संदीप सिंह से 10,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राय जाति सोनी उम्र 36 साल निवासी वार्ड न.14 रावला मण्डी हाल निवास किराये का मकान महताब कॉलोनी, घड़साना जिला अनूपगढ हाल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (वेदप्रकाश लखोटिया) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर–द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राय निवासी वार्ड नम्बर 14, रावला मण्डी हाल निवास किराये का मकान महताब कॉलोनी, घडसाना जिला अनूपगढ हाल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कार्यलय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, घडसाना जिला अनूपगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर–प्रथम को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 24 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 337-40 दिनांक 02.05.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHUPENDER KUMAR SONI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/05/2024 17:01:08

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/05/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)